


न्याया  
वाचक / 2021 / 72  
ना  
इंदरराम पुत्र कुआराम  
बाडमेर

विप्रार्थीगण

विश्वदास एवम् पत्नीय कर्णिकणी सिवानो, लोपको  
पक्षे पक्षस दिनांक 04/10/21 को पेशको




उपजण्ड अधिकारी  
सिवाना (बाडमेर)

04.10.21 पत्रपत्नी खाज शासन गांव कसंग खडिया +  
कतकत राजरत ग्राम महिलाघास पेश हुई  
पत्रपत्नी अहिम कर्णिकणी दिनांक 25.10.21  
को पेश हुई



उपजण्ड अधिकारी  
सिवाना (बाडमेर)

25.10.21 पत्रपत्नी खाज पेश हुई प्राथी पत्रपत्नीय  
विप्राधीगण अनुपस्थित। प्राथी पत्रपत्नीय को एक  
पत्नीय पत्रपत्नीय गडे। प्राथी को प्राथीना पत्र  
स्वीकार किया जातोके बाद प्रस्तुत प्राथी  
शरदद मोषा धाम पत्वार माला धाम के  
खेल अनुसार संख्या 348 खता 2.0315  
हिएथर प्रथी के नेखमवदी हेतु लक्ष्मीपदार  
सिवाना को मोषा पत्रपत्नीय निह्युक्त किया गया  
हे प्राथी पत्रपत्नीय को 500/- आयेमी के पर  
अदा हेतु ~~पत्रपत्नीय~~ आदेश को पालना  
हेतु लक्ष्मीपदार सिवाना के लक्ष्मीय जापी  
हा शर्चा पत्रपत्नीय अपना-अपना पदन  
को पत्रपत्नीय दिखला सुमार लक्ष्मीय दाखिला  
दफतर को



उपजण्ड अधिकारी  
सिवाना (बाडमेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क. वाचक / 2021 / 7288

दिनांक : - 01.11.21

प्रार्थी

डूंगरराम पुत्र फुआराम जाति रावणा राजपूत निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नेनाराम पुत्र वरदाराम जाति मेघवाल निवासी थापन तहसील सिवाना
2. अरुण पुत्र सतीश कुमार जाति सोनी निवासी तीन निम्बडी की गली सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
3. सुखदेव पुत्र बाबूलाल जाति सोनी निवासी इन्द्राणा सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
4. रामरतन पुत्र बाबूलाल जाति सोनी निवासी इन्द्राणा सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
5. श्यामसुन्दर पुत्र बाबूलाल जाति सोनी निवासी इन्द्राणा सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
6. महेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति सोनी निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141A, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं...50/2021


दिनांक :- 25.10.21

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम थापन पटवार मण्डल थापन तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 348 रकबा 2.0315 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार, सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रूपये 500/- प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकताओं पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता




  
उपखण्ड अधिकारी,  
सिवाना (बाड़मेर)

कमांक: वाचक / 2021 / 7289-7292

दिनांक : - 01.11.21

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी थापन को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. डूंगरराम पुत्र फुआराम जाति रावणा राजपूत निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

  
उपखण्ड अधिकारी,  
सिवाना (बाड़मेर)